



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127934

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 19446 वर्ष 2026

निम्मे और अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अभिलाषा सिंह, आशुतोष यादव, एस. लाल

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., घनश्याम यादव, रमेश चंद्र

न्यायालय सं. - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री अभिलाषा सिंह, श्री घनश्याम यादव और उ.प्र. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. यह जमानत आवेदन जिला संभल के राजपुरा थाना में धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 109(1), 118(1) बी.एन.एस. और धारा 30 शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमा अपराध सं. 0085 वर्ष 2026 में आवेदकों की जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आरोप है कि एफआईआर में 6 व्यक्तियों को नामजद किया गया

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है और उन पर मारपीट का सामान्य आरोप लगाया गया है। गवाहों या एफआईआर में किसी विशिष्ट भूमिका या हथियार का उल्लेख नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 4 व्यक्ति घायल हुए हैं और पूरक चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार रूपवती और जसबीर की चोटें मामूली प्रकृति की पाई गई हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 109(1) बी.एन.एस. के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। सह-आरोपी राजेश भी कथित घटना में घायल हुआ है। याचिकाकर्ताओं के पास देसी पिस्तौल होने का आरोप है, लेकिन घायलों के शरीर पर गोली लगने का कोई निशान नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता 04.05.2026 से जेल में बंद हैं और यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और मुकदमे में सहयोग करेंगे।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदकों को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि अपराध में उनकी संलिप्तता के संबंध में आवेदकों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वे जमानत पर रिहा होने के हकदार नहीं हैं।

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदकों द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय ने पाया कि आवेदकों ने जमानत दिए जाने का मामला सिद्ध कर दिया है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. उपर्युक्त मुकदमा अपराध के आरोपी **निम्मे और करतार** को व्यक्तिगत बंधपत्र और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आरोपी इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेंगे कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वे साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेंगे। इस शर्त का

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उल्लंघन करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(ii) आरोपी प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं, तो विचारण न्यायालय उनके खिलाफ धारा 229-ए भा.दं.सं./ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं.प्र.सं./ 84 बी.एन.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो विचारण न्यायालय उनके खिलाफ कानून के अनुसार धारा 174-ए भा.दं.सं./ 209 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) आवेदक (i) मामले की सुनवाई शुरू होने, (ii) आरोप विरचित करने और (iii) द.प्र.सं. की धारा 313/351 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदकों की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 जून, 2026

नितेंद्र

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।